

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1345/2013/उदयपुर.

मैसर्स आदिनाथ ऑयल इण्डस्ट्रीज, उदयपुर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

अतिरिक्त आयुक्त, अपीलीय प्राधिकारी,
वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अभिषेक अजमेरा, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री डी. पी. ओझा,


उप-राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 22/09/2016

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी, द्वारा अतिरिक्त आयुक्त, अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 08/सीएसटी/2012-13/उदयपुर में पारित किये गये आदेश दिनांक 12.03.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 12.03.2013 के द्वारा वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-सी, उदयपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2003 की धारा 33 सपठित धारा 9 केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 25.07.2011 में आरोपित कर रूपये 60,620/- ब्याज रूपये 18,186/- कुल मांग राशि रूपये 78,806/- को अपास्त करते हुए आरोपित कर व ब्याज की पुष्टि करते हुए अपील अस्वीकार की गई है। अपील आदेश में पुष्टि किये गये कर व ब्याज की राशि को प्रस्तुत अपील में विवादित किया गया है।
2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि कर निर्धारण वर्ष 2007-08 के लिये केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अधीन घोषणा प्रपत्र-सी, के समर्थन पर घोषित बिक्री के संबंध में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत घोषणा प्रपत्र-सी, संख्या 6583751 को इस आधार पर अस्वीकार किया गया कि इसमें केन्द्रीय विक्रय कर नियम 1957 के नियम 12(1) की पालना नहीं की गई है तथा इसके फलस्वरूप अतिरिक्त कर व ब्याज आरोपण किया गया।
3. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने सुनवाई के समय लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी व्यवहारी ने अनेक प्रयास करके क्रेता व्यवहारियों से घोषणा प्रपत्र-सी प्राप्त कर लिये हैं जो केन्द्रीय विक्रय कर नियम 1957 के नियम 12(1) के प्रावधान की पालना करते हैं। बहस में विद्वान अभिभाषक ने इस आधार पर प्रकरण को स्वीकार करने की प्रार्थना की गई।



लगातार.....2

4. प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए अपील अस्वीकार करने की प्रार्थना की गई।

5. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा केन्द्रीय विक्रय कर नियम 1957 के नियम 12(1) की पालना करने में असफल होने के कारण अतिरिक्त कर व ब्याज का आरोपण किया गया। केन्द्रीय विक्रय कर नियम 1957 के नियम 12(1) निम्न प्रकार है -

12. (1) The declaration and the certificate referred to in sub-section (4) of section 8 shall be in Forms "C" and "D" respectively: Provided that form "C" in force before the commencement of the Central Sales Tax (Registration and Turnover) (Amendment) Rules, 1974, or before the commencement of the Central Sales Tax (Registration and Turnover) (Amendment) Rules, 1976, may also be used to the 31st December 1979 with suitable modifications. [Provided further that a single declaration may cover all transactions of sale, which take place in a quarter of a financial year, between the same two dealers. Provided also that where, in the case of any transaction of sale, the delivery of goods is spread over to different quarters in a financial year or of different financial years, it shall be necessary to furnish a separate declaration or certificate in respect of goods delivered in each quarter of a financial year.]"

6. केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के प्रावधानों के तहत घोषणा प्रपत्र-सी, की प्रस्तुती के द्वारा व्यवहारी को रियायती कर दर का लाभ मिलता है। घोषणा प्रपत्र-सी, में कोई दोष पाये जाने पर उस दोष का उपचार करने के लिये व्यवहारी को समुचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। इस संबंध में माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा बिक्री कर आयुक्त मध्यप्रदेश बनाम दाराशाह मेंचरजी न्यायिक दृष्टान्त (1981) 47 एसटीसी 251 निर्णय दिनांक 18.08.1980 में निम्न व्यवस्था दी गई है-

"Before rejecting the declarations in C forms furnished by an assessee under section 8(4) of the Central Sales Tax Act, 1956 on the ground that the number and date of the registration certificate of the purchasing dealer were not mentioned in the declaration forms, the assessing authority ought to give an opportunity to the assessee to cure the defects noticed.




लगातार.....3

The rejection of declarations in C forms would result in denying the dealer the benefit of the concessional rate of tax and, therefore, would adversely affect the dealer. The order of rejection cannot therefore be passed by an assessing authority arbitrarily. It is a quasi-judicial act and it is thus inherent in the very nature of an order, expressly or impliedly rejecting the declaration furnished by the dealer, that it should be passed after giving the dealer an opportunity of being heard in the matter. Such opportunity cannot be held to be an empty formality but would necessarily carry with it the opportunity to remove the defects in the declaration to the satisfaction of the assessing authority. Denial of such opportunity would mean that even a defect in the declaration arising out of an inadvertent mistake or omission in the declaration could not be cured and such a construction of section 8(4) of the Act would be too technical and is not warranted by the provisions of that section."

7. हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक नें प्रावधानों की पालना करते हुए घोषणा प्रपत्र-सी प्राप्त होने के बारे में लिखित में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उपरोक्त पैरा संख्या 6 में माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा दी गई व्यवस्था के प्रकाश में यह निष्कर्षित किया जाता है कि अपीलार्थी व्यवहारी को नवीन प्राप्त घोषणा प्रपत्र-सी प्रस्तुत करने के लिए अवसर दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः अपील स्वीकार करते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को इन निर्देशों के साथ कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा केन्द्रीय विक्रय कर नियम 1957 के नियम 12(1) की पालना किये जाने की संतुष्टि करते हुए नियमानुसार जांच के पश्चात् घोषणा प्रपत्र-सी को स्वीकार होने योग्य पाये जाने पर स्वीकार करने की कार्यवाही की जावे।

8. अपील स्वीकार करते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

9. निर्णय सुनाया गया।


(मनोहर पुरी)
सदस्य